IS 15700 : 2005

सेवोत्तम प्रमाणित

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद

कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता-वाराणसी-वृत्त

आफिस कम शापिंग काम्पलेक्स, द्वितीय तल
जवाहर नगर भेलूपुर, वाराणसी
E_mail:-circle1@upavp.com

भारतीय मानक ब्यूरो IS 15700

पत्रांक– 349 / M-11 / 41 दिनांक 24.02.2024

अति अल्पकालीन ई–निविदा सूचना

अधोहस्ताक्षरी द्वारा परिषद की ओर से उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद के सुसंगत श्रेणी में पंजीकृत/अनुभवी ठेकेदारों/फर्मो से स्पर्धात्मक ई–निविदाये टू–बिड पद्धति पर राज्य सूचना केन्द्र (NIC) की वेबसाइट http://etender.up.nic.in के माध्यम से आमन्त्रित की जाती है। ई–निविदा की तकनीकी बिड निम्न तालिका के अनुरुप सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता के कार्यालय में फर्मो/ठेकेदारों अथवा उनके प्रतिनिधियों के समक्ष खोली जायेगी। परीक्षणोपरान्त तकनीकी बिड में सफल निविदादाताओं का वित्तीय बिड खोले जाने की तिथि व समय पृथक से सूचित किया जायेगा।

क्र. सं.	कार्य का नाम	कार्य की मात्रा	अनुमानित लागत (रू0 लाख में)	धरोहर धनराशि (रू0 लाख में)	निविदा प्रपत्र का मूल्य /प्रोसेसिंग शुल्क (जी0एस0टी0 सहित) (रू0 में)	कार्य पूर्णता की अवधि (वर्षा ऋतु को सम्मिलित करते हुए)	सम्बधित खण्ड का नाम
1.	राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा स्वीकृत ई.सी.आर.पी.–2 के अन्तर्गत जनपद– जौनपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, महाराजगंज में 50 बेडेड फील्ड हास्पिटल का निर्माण कार्य।	बी0ओ0क्यू0 के अनुसार	243.00	4.86	5310.00	18 माह	अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड–वाराणसी–02 ,वाराणसी।
2.	राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा स्वीकृत ई.सी.आर.पी.–2 के अन्तर्गत जनपद– जौनपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, सुईथा कला में 50 बेडेड फील्ड हास्पिटल का निर्माण कार्य।	बी0ओ0क्यू0 के अनुसार	245.00	4.90	5310.00	18 माह	

ई–निविदा से सम्बन्धित समय सारिणी	**तिथि व समय**
Document Download start date	24.02.2024 (18:00)
Document Download End date	05.03.2024 (11:00)
Bid submission start date	24.02.2024 (18:00)
Bid submission/closing date	05.03.2024 (11:00)
Technical Bid opening date	05.03.2024 (11:30)
Financial Bid opening date	To be declared after opening of Technical Bid

ई–निविदा –

निविदा से सम्बन्धित प्रपत्र का मूल्य व धरोहर धनराशि अलग–अलग आर.टी.जी.एस के माध्यम से जमा किया जायेगा। आर.टी.जी.एस. निम्नलिखित विवरण के अनुसार निविदा खुलने की तिथि से एक दिन पूर्व दिनांक 04.03.2024 को अपरान्ह 04:00 बजे तक खण्ड कार्यालय के खाते में जमा होने की पुष्टि के उपरान्त ही निविदा पर विचार किया जायेगा। कार्यालय का पता व खाते का विवरण निम्नवत है।

खण्ड कार्यालय का पता	:	अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड वाराणसी–02, वाराणसी। उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, जवाहर नगर, भेलूपुर वाराणसी।
खाते का विवरण	:	HDFC BANK, RATHYATRA, VARANASI.
खाता सं0	:	50100171916383
आई0एफ0एस0 कोड	:	HDFC0000220

1. निविदा आमन्त्रण सूचना एवं निविदा प्रपत्र परिषद की वेबसाईट www.upavp.com अथवा http://etender.up.nic.in पर देखे जा सकते है। इच्छुक ठेकेदार नियमित रूप से उक्त वेबसाईट देखते रहें। ई–निविदाओं के सम्बन्ध में कोई बदलाव अथवा सूचना वेबसाईट पर ही उपलब्ध करायी जायेगी। डिजिटल सिग्नेचर धारक ठेकेदार/फर्मो द्वारा आनलाइन निविदा डाली जा सकती है।

2. निविदा प्रपत्र/धरोहर धनराशि के मूल्य से सम्बन्धित आर.टी.जी.एस. के यू.टी.आर. नम्बर की स्कैन्ड प्रति निविदा प्रपत्र के साथ अपलोड भी किया जाना अनिवार्य होगा।
3. निविदादाता फर्म को जी0एस0टी0 एवं लेबर सेस हेतु सम्बन्धित विभाग में पंजीकृत होना अनिवार्य होगा तथा उसके सभी देयको से इनकम टैक्स एवं अन्य कोई कर जो सरकार द्वारा लागू किया जाता है, की कटौती नियमानुसार की जायेगी। केवल जी.एस.टी. नियमानुसार अतिरिक्त देय होगा।
4. निविदादाता फर्म का आयकर एवं श्रमविभाग में पंजीकरण होना अनिवार्य है। जो निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य है।
5. निविदादाता को निविदा स्वीकृति की दशा में अनुबंध गठन के पूर्व निविदा के अनुसार कार्य की कुल लागत का 10 प्रतिशत सिक्योरिटी एफ.डी.आर/सी.डी.आर. के रूप में सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद के पक्ष में बंधक बनाकर जमा करना होगा।
6. निविदा की वित्तीय बिड के साथ दरों के तीन माह की वैद्यता हेतु रू0 100.00 के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र देना होगा।
7. निविदा की स्वीकृति की दशा में अनुबन्ध गठन के समय रू0 100.00 के स्टाम्प पेपर पर अनुबन्ध करने एवं रू0 10.00 के स्टाम्प पेपर पर इस आशय का निर्धारित प्रारूप पर शपथ पत्र देना होगा कि यदि स्टाम्प की अतिरिक्त देयता होगी तो ठेकेदार ही वहन करेगा।
8. किसी कारणवश खण्ड कार्यालय में अवकाश होने पर निविदा अगले कार्य दिवस में खोली जायेगी।
9. समस्त कार्य उ0प्र0 लोक निर्माण विभाग/उ0प्र0 जल निगम/उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद की अद्यतन विशिष्टियों के अनुसार कराये जायेगें।
10. शासन के निर्देशों के अनुसार निर्माण कार्य में प्रयुक्त सामग्री यथा मिट्टी, सैण्ड, स्टोन ग्रिट/बैलास्ट इत्यादि पर रॉयल्टी भुगतान की रसीद/साक्ष्य प्रस्तुत करने पर एवं सत्यापन उपरान्त ही बिल का भुगताान अनुमन्य होगा अन्यथा नियमानुसार बिल से कटौती की जायेगी। शासनादेश संख्या–3385–2015–292/2015 दिनांक 15.10.2015 के अनुपालन में यदि ठेकेदार/फर्म नियमानुसार रॉयल्टी जमा नहीं करता है, तो निर्धारित रॉयल्टी की धनराशि के अतिरिक्त पाँच गुना धनराशि फर्म के देयक से वसूल की जायेगी।
11. निर्माण सामग्री की आपूर्ति प्रचलित आई.एस. कोड की नवीनत विशिष्टियों के अनुसार करनी होगी तथा आपूर्ति के समय आपूर्तिकर्ता को सामग्री की टेस्ट रिपोर्ट प्रस्तुत करना अनिवार्य हेागा।
12. निविदा की बी.ओ.क्यू. में अंकित किसी कार्य मद की मात्रा में किसी भी सीमा तक परिवर्तन हो सकता है, जिसके लिये ठेकेदार/फर्म का कोई क्लेम मान्य नहीं होगा।
13. अनुबंध गठन की प्रक्रिया या उसके उपरान्त यदि संज्ञान में आया कि सम्बंन्धित ठेकेदार/व्यक्ति सक्रिय रूप से माफिया गतिविधियों एवं संगठित अपराधों में लिप्त है तो उसके साथ किया गया अनुबंध निरस्त कर दिया जायेगा एवं दण्ड के रूप में उसकी धरोहर धनराशि जब्त करते हुये फर्म का नाम काली सूची में डाला जायेगा।
14. निविदादाता द्वारा दिये गये दस्तावेजों/प्रमाण पत्रों के गलत पाये जाने पर निविदादाता को अयोग्य समझा जायेगा एवं उसकी निविदा पर विचार नही किया जायेगा। यदि फर्जी/गलत दस्तावेजों की जानकारी अनुबंध गठन के पश्चात होती है तो अनुबंध उसी समय निरस्त करते हुये धरोहर धनराशि जब्त करते हुये फर्म का नाम काली सूची में डाला जायेगा।
15. कार्य निर्धारित अवधि में पूर्ण करना होगा। कार्य पूर्ण करने हेतु कार्य की मासिक प्रगति निर्धारित मासिक प्रगति चार्ट के अनुसार करनी होगी। प्रगति आकलन पाक्षिक किया जायेगा। विलम्ब की दशा में ठेकेदार को अगले माह के अन्त तक निर्धारित क्यूमलेटिव प्रगति प्राप्त करनी होगी। अन्यथा की दशा में अनुबंध निरस्त करने की कार्यवाही अनुबन्ध की शर्तो के अनुसार की जायेगी, जिसके लिये ठेकेदार का कोई क्लेम मान्य नही होगा।
16. उ0प्र0 भवन एव अन्य सन्निर्माण कर्मकार नियोजन तथा सेवा शर्ते विनिमय नियमावली वर्ष 2009 के विनिमय 24(2) के अर्न्तगत संविदा एवं श्रमिक एकल पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। अतः निविदा स्वीकृति एवं अनुबंध गठन के पश्चात एक सप्ताह के अन्दर उपरोक्तानुसार पंजीकरण प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। पंजीकरण प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के उपरान्त ही प्रथम देयक का भुगतान किया जायेगा तथा प्रत्येक दशा में नियमानुसार लेबर सेस कटौती की जायेगी।
17. निविदा दाता की निविदा के साथ निर्धारित वैद्य प्रमाण पत्र (टी–4, टी–5,टी–6) की स्कैन की प्रति आनलाइन जमा करना अनिवार्य होगा।
18. निविदा की दर कम या अधिक (Below or Above) अंकित न होने पर (Below) माना जायेगा।
19. यदि किसी ठेकेदार/फर्म ने स्थायी धरोहर धनराशि (जनरल सिक्योरिटी) जमा की है तो भी निविदा के साथ कुल वांछित धरोहर धनराशि एवं स्थायी धरोहर धनराशि (जनरल सिक्योरिटी) के अन्तर की धनराशि निविदा के साथ अनिवार्य रूप में देय होगी।
20. जी0पी0डब्लू–9 के क्लाज 40 के अनुसार कार्य के कुल लागत की 1.00 प्रतिशत की धनराशि वारन्टी के रूप में तीन वर्ष तक रोकी जायेगी।
21. जी0पी0डब्लू–9 फार्म अनुबंध का हिस्सा होगा।
22. शासनादेश संख्या–622/23–12–2012–2 आडिट/08टी.सी.–2/दिनांक 08.06.2012 के अनुसार बी.ओ.क्यू. से Belowदेने पर ठेकेदार द्वारा अतिरिक्त जमानत धनराशि किसी राष्ट्रीयकृत बैंक से निर्गत एफ0डी0आर0/सी0डी0आर0 के रूप में निम्न विवरण के अनुसार देय होगी।

(क) 10 % (Below)दर तक प्रति1.00% कम(Below) दर पर 0.50% की दर से आगणित धनराशि।

(ख) 10 % से अधिक Below दर होने पर प्रति 1.00% कम(Below) दर पर 1.00% की दर से आगणित धनराशि।

23. अधोहस्ताक्षरी/सक्षम अधिकारी को कोई भी अथवा समस्त निविदाएं बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है, जिसके सम्बन्ध में ठेकेदारों/फर्मो का कोई भी क्लेम मान्य नहीं होगा।
24. सम्बन्धित विभाग को कार्य हस्तगन कराने की जिम्मेदारी फर्म की होगी जिसके उपरान्त ही अन्तिम भुगतान किया जायेगा एवं सिक्योरिटी की धनराशि प्रोजेक्ट कम्पलीशन रिपोर्ट निर्गत होने के उपरान्त ही नियमानुसार अवमुक्त की जाएगी।
25. निर्माण कार्य में विलम्ब एवं उसकी गुणवत्ता में यदि कोई कमी/प्रतिकूल टिप्पणी की जाती है तो उसकी समस्त जिम्मेदारी फर्म/ठेकेदार की होगी।
26. कार्य की प्राथमिकता के अनुसार उ0प्र0 शासन से समय–समय पर धन अवमुक्त होने के अनुसार भुगतान की कार्यवाही की जाएगी। फर्म/ठेकेदार द्वारा प्राथमिकता से भिन्न किये गये कार्य का भुगतान तत्समय नहीं किया जायेगा।
27. सशर्त निविदा मान्य नहीं होगी।

28. निर्माणाधीन भवन के आस–पास के भवनों के टूट–फूट के सम्पूर्ण दायित्व निविदादाता का होगा। इसे सुनिश्चित करने का शपथ पत्र रू0 100.00 के स्टाम्प पेपर पर तकनीकी बिड के साथ अपलोड करना अनिवार्य होगा।
29. निर्माण कार्य हेतु तकनीकी बिड के साथ निर्धारित अवधि में कार्य पूर्ण करने का साप्ताहिक माइल स्टोन/साप्ताहिक बार चार्ट ठेकेदार को संलग्न कराना होगा तथारू0 100.00 के नॉन ज्यूडिशियल स्टैम्प पेपर पर बार चार्ट के अनुरूप एवं अनुबन्धित अवधि में कार्य पूर्ण करने का शपथ पत्र देना होगा अन्यथा निविदा मान्य नही होगी।
30. निविदादाता टेक्निकल बिड का भली प्रकार अध्ययन करते हुए सभी वांछित आवश्यकताओं को पूर्ण करने हेतु आवश्यक प्रपत्र संलग्न करें, जिनमें चेकलिस्ट के अतिरिक्त वांछित किसी प्रपत्र की अपूर्णता पाये जाने पर भी निविदा पर भी विचार नहीं किया जायेगा।
31. निविदा में प्रतिभाग करने से पूर्व इच्छुक निविदादाता/ठेकेदार/फर्म कार्यस्थल का निरीक्षण अवश्य कर लें। बाद में किसी भी प्रकार का अतिरिक्त क्लेम मान्य न होगा।
32. उ0प्र0 शासन/जिला प्रशासन से सम्बन्धित कोविड–19 के अन्तर्गत दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाना होगा।
33. किसी भी विवाद की दशा में न्यायिक क्षेत्र, जनपद–वाराणसी होगा।
34. किसी भी प्रकार की प्रपत्रों की हार्ड कापी स्वीकार न होगी।
35. निविदादता द्वारा कार्यस्थल का लैटिट्यूड एवं लौगिट्यूड के साथ साइट फोटोग्राफ अपलोड करना अनिवार्य है अन्यथा निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।
36. प्रस्तावित कार्यस्थल पर भूमि की अनुपलब्धता की स्थिति में यदि अन्यत्र भूमि उपलब्ध करायी जाती है तो भी कार्य ई–निविदा में दी गयी दरों पर ही करना होगा। इस सम्बन्ध में फर्म/ठेकेदार का कोई क्लेम मान्य नहीं होगा।
37. स्वास्थ्य विभाग/एन0एच0एम0 के साथ परिषद द्वारा किया गया एम0ओ0यू0 अनुबन्ध का अविभाज्य भाग होगा तथा एम0ओ0यू0 में निहित समस्त शर्तो/दायित्यों का अनुपालन फर्म द्वारा किया जाना बाध्यकारी होगा

(के0सी0 श्रीवास्तव)
अधीक्षण अभियन्ता

पृ0सं0– 349 / M-11 / 41 दिनांक : 24.02.2024

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, ग्लोबल कन्स्ट्रक्शन एण्ड कन्सल्टेन्सी सेल, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, नीलगिरी काम्पलेक्स, इन्दिरा नगर, लखनऊ।
2. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड–वाराणसी–02, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, वाराणसी।
3. इंचार्ज, कम्प्यूटर सेल, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ को परिषद वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
4. कार्यालय नोटिस बोर्ड हेतु।

अधीक्षण अभियन्ता